उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन, टिहरी कोठी, लखनऊ–226001
दूरभाष : पी0बी0एक्स0–2622363,
फैक्स : 0522–2615526, 2628841, 2623578
e-mail : info@upsrtc.com
website : www.upsrtc.com

संख्याः 133 /एमडी/पीएस/2012, दिनॉकः 06 जुलाई, 2012

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
   उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः संचालन स्टाफ द्वारा भ्रष्टाचार के प्रकरणों में कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

परिवहन निगम द्वारा बस आय के रूप में राजस्व वृद्धि के प्रयासों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता करने वाले कर्मी बाधा पहुॅचाते हैं। इस प्रवृत्ति पर सख्त नियन्त्रण लगाने के उद्देश्य से मुख्यालय के कार्यालय आदेश संख्याः 575 चेकिंग सेल/2012, दिनांक 04 जनवरी, 2012 में यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि 5 या अधिक बिना टिकट यात्री पकड़े जाने पर नियमित परिचालकों को निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही तथा संविदा परिचालकों की संविदा समाप्ति की कार्यवाही की जाये। इन निर्देशों के लागू किये जाने के पश्चात संचालन स्टाफ के भ्रष्टाचार में कुछ कमी परिलक्षित हुई है, परंतु अभी भी यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे कुछ प्रकरण सामने आने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही भी की गयी है। इस सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से अत्यन्त कठोर रूख अपनाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निम्नलिखित निर्देशों का अत्यन्त कड़ाई से तथा बिना किसी अपवाद के अनुपालन के लिए निर्देशित किया जाता हैः–

1. पूर्व में जारी किये गये निर्देशों के अनुसार 5 या उससे अधिक बिना टिकट यात्री सम्बन्धी भ्रष्टाचार के प्रकरणों में नियमित परिचालकों को निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही व संविदा परिचालकों की संविदा समाप्ति की कार्यवाही अविलम्ब बिना किसी अपवाद के की जाये। इन निर्देशों से विचलन की दशा में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरूद्ध वृहद दण्ड के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी और पर्यवेक्षण की कमी का जिम्मेदार मानते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक को भ्रष्टाचार रोकने में विफल रहने के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी।
2. प्रारम्भ की गयी अनुशासनिक कार्यवाही तत्परतापूर्वक निस्तारित करायी जाये, जिसके लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक नियमित रूप से लम्बित कार्यवाहियों का अनुश्रवण करें और ऐसे मामलों में दण्डादेश पारित करते समय मुख्यालय के परिपत्र संख्याः 3097एलएएस/11–338/एलएएस/11, दिनांक 30 सितम्बर, 2011 में उल्लिखित मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयों के दृष्टिगत कठोर रूख अपनाया जाये।
3. कतिपय शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हुई हैं कि भ्रष्टाचार के प्रकरणों में संविदा समाप्त करने के पश्चात ऐसे कार्मिक को अन्य क्षेत्रों में संविदा पर लगाया गया है।

क्रमशः 2 पर–

भविष्य में क्षेत्रीय प्रबन्धक की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह इस बात की छान–बीन कर लें और सम्बन्धित व्यक्ति से भी शपथ–पत्र प्राप्त कर लें कि उसे पूर्व में भ्रष्टाचार के प्रकरण में संविदा से हटाया न गया हो। इस सम्बन्ध में शिथिलता पाये जाने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक का व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

यह भी अवगत कराया जाता है कि निगम के राजस्व अर्जन के प्रयासों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के इन मामलों में संविदा समाप्त कर्मचारियों की बहाली पर मुख्यालय पर अब विचार नहीं किया जा रहा है।

आलोक
(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

<u>समसंख्यक / समदिनांकित।</u>

<u>प्रतिलिपिः</u> निम्नलिखित को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा0 / संचा0 / प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय।
3. समस्त प्रधान प्रबन्धक, निगम मुख्यालय।
4. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय।

आलोक
(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक